राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

क्रमांक: एफ III (643)/रा.प्र.नि.मं./प्रशा./2761 दिनांक: 09-03-2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर जारी विज्ञापन संख्या प0/01–2016/1134 दिनांक 14–07–2016 के क्रम में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा, 2016 में सफल घोषित किए गये निम्नांकित अभ्यर्थियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) के रूप में उपस्थिति दर्शाने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 21 के साथ संलग्न सूची चतुर्थ में उल्लेखित रूपये 17,230/– प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर, उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

क0सं0	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग/श्रेणी	जन्म तिथि
1	6063	श्री लाल चन्द मालव	ओबीसी	27–06–1990
2	5567	श्रीमती निशा जैन	—	04–10–1978
3	5741	श्री सोहन लाल	अ0जा0	10–06–1984
4	6054	श्री महेश कुमार मालव	ओबीसी	19–12–1990
5	5307	श्री अतहर परवेज	—	14–10–1988
6	5513	श्री राम किशोर कुमावत	ओबीसी	03–02–1985
7	5210	श्री दयाराम	ओबीसी	02–10–1988
8	5120	श्री तारासिंह श्योरान	ओबीसी	02–07–1984
9	5117	श्री सूरज मल मीणा	अ0ज0जा0	02–07–1985
10	5003	श्रीमती दिव्या शर्मा	पीएच	01–09–1983

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:–

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13–3–2006 तथा अधिसूचना क्रमांक प014(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 8–6–2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
2. विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही नियुक्ति पद

Scanned by CamScanner

पर कार्यग्रहण कराया जायेगा।

3 अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ चरित्र प्रमाण पत्र के मण्डल द्वारा संतोजनक पाये जाने के अध्यधीन होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र में चरित्र प्रमाणीकरण संतोषजक नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेंगे।

4 अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है जो परीक्षा में आवेदन पत्रों के प्रारूप में अंकित की गई है और जिन्हें सम्यक सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।

5 अभ्यर्थी को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार पे बेण्ड रूपये 9300–34800 एवं ग्रेड पे 4800/–एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

6 परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि एवं कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

7 अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व परिविक्षाकाल में नियत वेतन (fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित में प्रस्तुत करनी होगी।

8 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु मण्डल द्वारा इन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

9 यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यार्थियों की नियुक्तियाँ, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों/उपबन्धों एवं और अपेक्षाओं के सम्बन्धित सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

10 यदि राज्य मण्डल की राय में किसी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का परिवीक्षाकाल में कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया या ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के कार्य में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसे अविलम्ब पद से सेवा मुक्त (DISCHARGE) किया जा सकेगा।

11 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय–II में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

12 उक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाता एवं मण्डल की लिखित अनुमति से एक माह में भी अपनी उपस्थिति रिपोर्ट नहीं देता है और न ही किसी प्रकार की सूचना प्रेषित करता है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

13 नियुक्ति के पश्चात् भी किसी बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को विधि सम्मत मान्यता नहीं होने की स्थिति में उसके द्वारा जारी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी खामियाँ पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

14 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूँगरी, जयपुर–302017 के कार्यालय में दिनांक 21–03–2017 को प्रातः 9–30 बजे अपनी उपस्थिति दर्शानी होगी एवं उपस्थिति रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगेः–

(1) अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व परीविक्षाकाल में नियत वेतन (fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित में प्रस्तुत करनी होगी।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं हैं

Scanned by CamScanner

(3) महिला अभ्यर्थी को उसने ऐसे पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है।

(4) विवाहित अभ्यर्थी उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

(5) अविवाहित अभ्यर्थी वे विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करेगें।

(6) दिनांक 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे नहीं हुए हैं

(7) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति

(8) जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित छाया प्रति

(9) (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट) चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र मूल

(10) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल

(11) धुम्रपान / गुटका नहीं लेने का शपथ पत्र

(के. सी. ए. अरुण प्रसाद)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ III(543) / रा.प्र.नि.मं. / स्था. / 2962 दिनांकः 09-03-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर

2 निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

3 अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

4 कार्यालयाध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

5 आहरण एवं वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

6 श्री लालचन्द मालव पुत्र श्री हरिशंकर मालव, गांव गोलखी, पोस्ट–तहसील अन्तां, जिला बांरा–325202 (राजस्थान)

7 श्रीमती निशा जैन पुत्री श्री महेन्द्रकुमार जैन, 71 सैनी कालोनी–प्रथम, करतारपुरा, जयपुर–322006

8 श्री सोहनलाल पुत्र श्री बीरम कुमार, ग्राम रातागढ़, पीओ–दमला, तहसील जगाधरी जिला यमुनानगर–135001 (हरियाणा)

9 श्री महेशकुमार मालव पुत्र श्री कौशलकिशोर मालव, वार्ड 28, यादव मौहल्ला, छीपा बड़ोद, पंचायत समिति के पास, जिला बांरा–325221 (राजस्थान)

10 श्री अतहार परवेज पुत्र श्री अख्तर परवेज, ग्राम व पोस्ट भरतपुरा, जिला सिवान–841506 (बिहार)

11 श्री रामकिशोर कुमावत पुत्र श्री अर्जुनलाल कुमावत, 47, कुमावत खातीयाली, आढागेला टाकरड़ा, चौमू–303702 जिला जयपुर (राजस्थान)

12 श्री दयाराम पुत्र श्री [illegible]सिंह, ग्राम व पोस्ट माधोपुरा वाया बलारन, तहसील लक्ष्मणगढ़–332401 जिला सीकर (राजस्थान)

13 श्री दारासिंह श्योरान पुत्र रामदेव श्योरान, ग्राम व पोस्ट भूरासर का बास, जिला झुन्झुनू–333001 (राजस्थान)

14 श्री सूरजमल मीणा पुत्र श्री मूलचन्द मीणा, गांव दोपुर पोस्ट जहाजवार, तहसील बस्सी–303305 जिला जयपुर (राजस्थान)

15 श्रीमती दिव्या शर्मा पुत्री श्री शिवप्रसाद शर्मा द्वारा श्री सुरेन्द्र दुबे, गोबिन्दम, प्लाट नं0 6, फर्स्ट फलोर, श्याम वाटिका, नन्दपुरी मालवीया नगर, जयपुर (राजस्थान)

16 कार्यालय प्रति / व्यक्तिगत पत्रावली

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner